

कार्यालय प्राचार्य शासकीय नवीन महाविद्यालय भैरमगढ़ जिला बीजापुर [छ.ग.]

Email:- govtcollegebhairamgarh@gmail.com

क्रमांक / 124 / स्था० / 2020


भैरमगढ़, दिनांक / 5 / 10 / 2020

// आदेश //

संस्था में शैक्षणिक वर्ष 2020..21 हेतु संस्था स्तर पर एक 'रैगिंग रोकथाम समिति' का गठन निम्नानुसार किया जाता है :-

- | | | |
|---------------------------|-------|--------|
| 1. श्री उग्रें कुमार साहू | ----- | संयोजक |
| 2. श्री रामयश | ----- | सदस्य |
| 3. श्री धवल गुप्ता | ----- | सदस्य |
| 4. डा.श्रीमती नीना राय | ----- | सदस्य |
| 5. श्री जगमोहन सिंह | ----- | सदस्य |
| 6. श्री राजेश कुमार नेताम | ----- | सदस्य |

शैक्षणिक संस्थाओं में "प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियम' के अंतर्गत रैगिंग को दंडनीय अपराध माना गया है। अतः उक्त समिति रैगिंग के संबंध में कोई प्रकरण पाए जाने पर त्वरित कार्यवाई करते हुए अधोहस्ताक्षरकर्ता को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।


प्राचार्य
PRINCIPAL

Govt. Naveen College, Bhairamgarh
Distt.-Bijapur (C.G.)

कार्यालय प्राचार्य शासकीय नवीन महाविद्यालय भैरमगढ़ जिला बीजापुर [छ.ग.]

Email:- govtcollegebhairamgarh@gmail.com

क्रमांक 159/स्था०/ 2019


भैरमगढ़, दिनांक 24 / 08 / 2019

// आदेश //

संस्था में शैक्षणिक वर्ष 2019..20 हेतु संस्था स्तर पर एक "रैगिंग रोकथाम समिति" का गठन निम्नानुसार किया जाता है :-

- | | | |
|----------------------------|-------|---------------------|
| 1. श्री उग्रेंन कुमार साहू | ----- | सं योजक |
| 2. श्री रामयश | ----- | सदस्य |
| 3. श्री धवल गुप्ता | ----- | सदस्य |
| 4. श्री जगमोहन सिंह | ----- | सदस्य [अशैक्षणिक] |
| 5. श्री राजेश कुमार नेताम | ----- | सदस्य [अशैक्षणिक] |

शैक्षणिक संस्थाओं में "प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियम" के अंतर्गत रैगिंग को दंडनीय अपराध माना गया है। अतः उक्त समिति रैगिंग के संबंध में कोई प्रकरण पाए जाने पर त्वरित कार्यवाई करते हुए अधोहस्ताक्षरकर्ता को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।


PRINCIPAL
Govt. Naveen College, Bhairamgarh,
Distt.-Bijapur (C.G.)

कार्यालय प्राचार्य शासकीय नवीन महाविद्यालय भैरमगढ़ जिला बीजापुर [छ.ग.]

Email:- govtcollegebhairamgarh@gmail.com

क्रमांक 1/स्था०/2018


भैरमगढ़, दिनांक 23/07/2018

// आदेश //

संस्था में शैक्षणिक वर्ष 2018..19 हेतु संस्था स्तर पर एक "रैगिंग रोकथाम समिति" का गठन निम्नानुसार किया जाता है :-

- | | | |
|---------------------------|-------|--------|
| 1. श्री रामेश्वर गुप्ता | ----- | संयोजक |
| 2. श्री रामयश | ----- | सदस्य |
| 3. श्री धवल गुप्ता | ----- | सदस्य |
| 4. श्री जगमोहन सिंह | ----- | सदस्य |
| 5. श्री राजेश कुमार नेताम | ----- | सदस्य |

शैक्षणिक संस्थाओं में "प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियम" के अंतर्गत रैगिंग को दंडनीय अपराध माना गया है। अतः उक्त समिति रैगिंग के संबंध में कोई प्रकरण पाए जाने पर त्वरित कार्यवाई करते हुए अधोहस्ताक्षरकर्ता को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।


प्राचार्य

PRINCIPAL
Govt. Naveen College, Bhairamgarh,
Distt.-Bijapur (C.G.)

कार्यालय प्राचार्य शासकीय नवीन महाविद्यालय भैरमगढ़ जिला बीजापुर [छ.ग.]

Email:- govtcollegebhairamgarh@gmail.com

क्रमांक / 50स्था०/ 2017


भैरमगढ़ ,दिनांक 25/07/2017

// आदेश //

संस्था में शैक्षणिक वर्ष 2017..18 में संस्था स्तर पर एक "रैगिंग रोकथाम समिति " का गठन निम्नानुसार किया जाता है :-

- | | | |
|---------------------------|-------|---------------------|
| 1. श्री धवल गुप्ता | ----- | संयोजक |
| 2. श्री उग्रेन कुमार साहू | ----- | सदस्य |
| 3. श्री रामयश | ----- | सदस्य |
| 4. श्री जगमोहन सिंह | ----- | सदस्य [अशैक्षणिक] |
| 5. श्री राजेश कुमार नेताम | ----- | सदस्य [अशैक्षणिक] |

शैक्षणिक संस्थाओं में " प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियम' के अंतर्गत रैगिंग को दंडनीय अपराध माना गया है। अतः उक्त समिति ,रैगिंग के संबंध में कोई प्रकरण पाए जाने पर त्वरित कार्यवाई करते हुए अधोहस्ताक्षरकर्ता को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।


प्राचार्य

PRINCIPAL
Govt. Naveen College, Bhairamgarh,
Distt.-Bijapur (C.G.)

कार्यालय प्राचार्य शासकीय नवीन महाविद्यालय भैरमगढ़ जिला बीजापुर [छ.ग.]

Email:- govtcollegebhairamgarh@gmail.com

क्रमांक / 93/स्था०/20

भैरमगढ़, दिनांक 22/07/2016

// आदेश //

संस्था में शैक्षणिक वर्ष 2016-17 प्रारंभ हो रहा है, को दृष्टिगत रखते हुए शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भिक दिनों में कई महाविद्यालयों में वरिष्ठ छात्रों द्वारा कनिष्ठ छात्रों के प्रति अमानवीय व्यवहार "रैगिंग" की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए संस्था स्तर पर एक "रैगिंग रोकथाम समिति" का गठन निम्नानुसार किया जाता है :-

1. डा० ब्रिजेश कुमार पाण्डेय ----- संयोजक
2. श्री जे.के.पोया ----- सदस्य
3. श्री जगमोहन सिंह ----- सदस्य

शैक्षणिक संस्थाओं में "प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियम" के अंतर्गत रैगिंग को दंडनीय अपराध माना गया है। उक्त समिति रैगिंग के संबंध में कोई प्रकरण पाए जाने पर त्वरित कार्यवाई करते हुए अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करवायेगी।


प्राचार्य
PRINCIPAL

Govt. Naveen College, Bhairamgarh,
Distt.-Bijapur (C.G.)